

कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव के लिए सामग्री की खरीद के लिए विधायक कर सकेंगे 5 लाख रुपये तक की अनुशंसा -उपमुख्यमंत्री

District : dipr

Department :

VIP Person : General

Press Release

State News

Attached Document :

LK-26-3-2020-5.docx (<http://103.203.138.54/news/205452/document/LK-26-3-2020-5.docx>)

DESCRIPTION

कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव के लिए सामग्री की खरीद के लिए विधायक कर सकेंगे 5 लाख रुपये तक की अनुशंसा -उपमुख्यमंत्री

जयपुर, 26 मार्च। उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने प्रदेश में कोरोना वायरस जनित महामारी की जांच एवं परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरण, अन्य सुविधाओं तथा वांछित सामग्री की विधायक कोष से खरीद हेतु विशेष अनुमति प्रदान की है।

उक्त सामग्री की खरीद हेतु विधायकगण विधायक कोष से 5 लाख रुपये तक की राशि की अनुशंसा कर सकेंगे। यह राशि पूर्व में मास्क एवं सेनेटाइजर हेतु प्रदत्त एक लाख रुपये की विशेष अनुमति के अतिरिक्त देय होगी।

उन्होंने बताया कि इस राशि द्वारा इन्फ्रारेड थर्मामीटर, चिकित्साकर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, थर्मल इमेजिंग स्कैनर्स, कोरोना जांच किट, आई.सी.यू. वेंटिलेटर, मास्क, सेनेटाइजर्स तथा आइसोलेशन व क्वारंटाइन वार्ड्स के लिए अनुमोदित सुविधाओं हेतु आवश्यक सामग्री क्रय की जा सकेगी।

SUPPORTING IMAGES